

28.04.25 पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित। वकील शर्मा की वकालत पर मनन करने एवं पत्रावली का प्रलोकन करने पर ग्रामिण का शर्मा का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पूर्ण में जारी T-3 निवेदन की जाती है। विस्तृत निवेदन पृथक से लिखा जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली का तद्विषय तत्काल होकर दायित्व दफ्तर है।

निवेदन लिखा जाकर पुले न्यायालय में
सुनाया गया।

RAS
28/04/25
(किरण पाल)
RAS